

अध्याय 15

प्रकीर्ण

नियम 116 : अपीलों, याचिकाओं आदि का रजिस्टर

- (1) अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों में की जाने वाली अपीलों, याचिकाओं आदि के संबंध में निर्धारित **जीएसटीएटी सीडीआर-07** और **08** में एक रजिस्टर बनाए रखा जाएगा और न्यायिक शाखा द्वारा उसमें आवश्यक प्रविष्टियां शीघ्रता से की जाएंगी।
 - (2) रजिस्टर को प्रत्येक मास के प्रथम सप्ताह में, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा जांच के लिए रखा जाएगा।
-